संख्याः–2426 ईजी/23–5–13–24ईजी/2013

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2013

विषयः–सिग्नेचर बिल्डिंग अथवा विशिष्ट भवन निर्माण हेतु QBS (Quality Based Selection) पद्धति के आधार पर वास्तुविद् के चयन की प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग–निर्देश।

महोदय, सं0 1735 /स0न0वि0/2014

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ई–8–394/दस–2013–1074/2012, दिनांक 07 मार्च, 2013 तथा लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–560ईजी/23–5–13–24ई0जी0/13, दिनांक 11जून,2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1(4) एवं 1(5) में वास्तुविद् (आर्कीटेक्ट) के चयन, डिजाइन एवं कार्य की सामान्य विशिष्टियों के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। लोक निर्माण विभाग के उक्त शासनादेश द्वारा वाह्य वास्तुविद् की सेवायें लेने पर कन्सलटेंसी फीस का निर्धारण किया गया है।

2– चूंकि वास्तुविदीय परामर्श विशिष्ट प्रकृति का कार्य है, अतः सिग्नेचर बिल्डिंग अथवा विशिष्ट भवन के निर्माण हेतु QBS (Quality Based Selection) पद्धति के आधार पर वास्तुविद् के चयन में एकरूपता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मार्ग–निर्देश निर्धारित किये जाते हैः–

2.1 वास्तुविद् के चयन हेतु कार्यदायी संस्था के द्वारा EOI (Expression of Interest) का आमंत्रण, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करते हुए किया जायेगा। इसी के साथ EOI का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।

2.2 कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त EOIs का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के सापेक्ष करने हेतु निम्नवत मानदण्ड (Evaluation Criteria) रखे जायेंगे :–

क.	Experience of the firm	20 Marks
ख.	Suitability of the key personnel for the assignment	45 Marks
ग.	Methodology, Work Plan and Understanding of Terms of Reference (TOR)	25 Marks
घ.	Capability of Transfer of knowledge/training	10 Marks

(श्री प्रकाश सिंह)
सचिव,
नगर विकास, आवास, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग
उ0 प्र0 शासन

DIRECTOR

E:\Habib JI\05-12-2013-Architect.doc-1

2.3 वास्तुविदों से प्राप्त EOI प्रस्तावों को प्रस्तर–2.2 में अंकित मानदण्डों के आधार पर स्क्रीनिंग करने हेतु कार्यदायी संस्था के स्तर पर निम्नवत् मूल्यांकन समिति गठित की जायेगी :–

क.	कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक	**अध्यक्ष**
ख.	प्रशासनिक विभाग द्वारा नामित न्यूनतम विशेष सचिव स्तर का अधिकारी	**सदस्य**
ग.	कार्यदायी संस्था का वित्तीय परामर्शदाता या समकक्ष वित्त अधिकारी	**सदस्य**
घ.	कार्यदायी संस्था का मुख्य वास्तुविद् अथवा कार्यदायी संस्था में नियमित वास्तुविद् न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग का ज्येष्ठ वास्तुविद्	**सदस्य**
ङ.	वाह्य विशेषज्ञ के रूप में आई.आई.टी./एन.आई.टी./ स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर(एस0पी0ए0)/राज्य वास्तुकला महाविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का वास्तुविद्	**सदस्य**
च.	कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक द्वारा नामित महाप्रबन्धक स्तर का एक अधिकारी	**सदस्य**

2.4 अर्ह वास्तुविदों को चिन्हित करने के लिये कार्यदायी संस्था प्रस्तर–2.2 में अंकित मानदण्डों के अधीन विस्तृत मानकों का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगी। न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले वास्तुविदों को उपर्युक्त समिति द्वारा Screen in किया जायेगा।

2.5 अर्ह वास्तुविदों से वित्तीय प्रस्ताव एवं कान्सेप्चुअल आर्किटेक्चरल डिजाइन (Conceptual Architectural Design) प्राप्त की जायेंगी। तत्पश्चात् वास्तुविदों द्वारा वास्तुविदीय संरचनाओं का प्रस्तुतिकरण प्रस्तर–2.3 में अंकित समिति के समक्ष किया जायेगा जिसका मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर निम्नवत् होगा :–

क.	Innovative elements in the proposal	25 Marks
ख.	Aesthetic aspects of the proposal	25 Marks
ग.	Functional aspects of the proposal	25 Marks
घ.	Optimum use of space in the proposal	25 Marks

2.6 समिति द्वारा प्रस्तर–2.5 के अनुसार कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्षस्थ 3 से 5 वास्तुविदों को shortlist किया जायेगा। तत्पश्चात् उन्हें वर्णानुक्रम में संबन्धित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग के विषयगत शासनादेश के अधीन गठित मुख्य सचिव समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

2.7 मुख्य सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत वास्तुविदीय प्रस्तावों के आकलन हेतु समिति में विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में निम्नानुसार उपयुक्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा :–

क.	संबन्धित प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष
ख.	मुख्य वास्तुविद्, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
ग.	आई0आई0टी0 / एन0आई0टी0 / एस0पी0ए0 / राज्य वास्तुकला महाविद्यालय में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का एक वास्तुविद्

2.8 उपर्युक्तानुसार shortlisted वास्तुविदों द्वारा मुख्य सचिव समिति के समक्ष सिग्नेचर बिल्डिंग की कान्सेप्चुअल आर्किटेक्चरल डिजाइन (Conceptual Architectural Design) का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा जिनका मूल्यांकन समिति प्रस्तर–2.5 में अंकित मानदण्डों के आधार पर करेगी। समिति द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त पाये गये वास्तुविदीय प्रस्ताव के संबन्ध में संस्तुति की जायेगी जिस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2.9 लोक निर्माण विभाग के विषयगत शासनादेश के अनुसार बाह्य वास्तुविद् की परामर्शीय सेवायें (Structural Design सहित) लेने पर परियोजना लागत की 1.50 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) धनराशि अनुमन्य है। प्रस्तर–2.8 के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित होने के उपरान्त चयनित वास्तुविद के वित्तीय प्रस्ताव को कार्यदायी संस्था द्वारा खोला जायेगा तथा यथावश्यकता वास्तुविद् से negotiate किया जा सकेगा।

3— उक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था में यथावश्यकता स्पष्टीकरण (Clarification), व्याख्या (Interpretation) और/अथवा संशोधन (Amendment) मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या–2426 (1)ईजी/23–5–2013–तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2— प्रमुख अभियन्ता(विकास) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
4— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5— निदेशक,कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–8
7— लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।
8— गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(सरोज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव

संख्याः–2427 ईजी/23–5–13–24ईजी/2013

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक 24, दिसम्बर, 2013

विषयः–सिग्नेचर बिल्डिंग अथवा विशिष्ट भवन निर्माण हेतु QBS (Quality Based Selection) पद्धति के आधार पर वास्तुविद् के चयन की प्रकिया सम्बन्धी मार्ग–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–2426ईजी/23–5–13–24ईजी/13, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिग्नेचर बिल्डिंग अथवा विशिष्ट भवन निर्माण हेतु QBS (Quality Based Selection) पद्धति के आधार पर वास्तुविद् के चयन की प्रकिया सम्बन्धी मार्ग–निर्देश से सम्बन्धित उक्त शासनादेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 के प्रस्तर–2.9 में अंकित व्यवस्था को निम्नवत संशोधित किया जाता है:–

शासनादेश दिनांक 21.12.2013 के प्रस्तर–2.9 की वर्तमान व्यवस्था	शासनादेश दिनांक 21.12.2013 के प्रस्तर–2.9 में प्रतिस्थापित व्यवस्था
लोक निर्माण विभाग के विषयगत शासनादेश के अनुसार बाह्य वास्तुविद् की परामर्शीय सेवायें (Structural Design सहित) लेने पर परियोजना लागत की 1.50 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) धनराशि अनुमन्य है। प्रस्तर–2.8 के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित होने के उपरान्त चयनित वास्तुविद के वित्तीय प्रस्ताव को कार्यदायी संस्था द्वारा खोला जायेगा तथा यथावश्यकता वास्तुविद् से negotiate किया जा सकेगा।	लोक निर्माण विभाग के विषयगत शासनादेश के अनुसार बाह्य वास्तुविद् की परामर्शीय सेवायें (Structural Design सहित) लेने पर परियोजना लागत की 1.50 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) धनराशि अनुमन्य है। प्रस्तर–2.8 के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित होने के उपरान्त चयनित वास्तुविद का वित्तीय प्रस्ताव, जो परामर्शीय सेवाओं हेतु शासनादेशानुसार देय नियत फीस पर सहमति पत्र के रूप में होगा, को कार्यदायी संस्था द्वारा खोला जायेगा तथा अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त शासनादेश सं0–2426ईजी/23–5–13–24ईजी/13, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 में अंकित शेष व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

..../02..